leisure hours in the college/University. Some Universities have been keeping the Day-Student Houses/Non-Resident Student Centres open till fairly late in the evening to enable the students to avail of the facilities for longer hours. However, for the majority of non-resident students, provision of Night Study Houses would not be of much help on account of transport and other problems.

शिक्षा मंत्रालय में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निबटारा

5882. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1969 से 28 फरवरी, 1970 के बीच संसद् सदस्यों से उनको तथा उनके मंत्रालय में कुल कितने पत्र प्राप्त हुए तथा उन में से प्रत्येक में क्या-क्या मामले उठाये गये थे ;

(ख) उनमें से कितने पत्रों के उत्तर अन्तिम रूप से भेज दिये गये हैं तथा ये उत्तर भेजने में अनुमानत: कितना समय लगा ;

(ग) शेष पत्रों के उत्तर न देने के क्या कारण हैं तथा क्या उन्हें इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा जारी किये गये निदेशों का पता है ;

(घ) क्या संसद् सदस्यों के पत्रों के उत्तर देने में अनावश्यक विलम्ब इस लिये किया जाता है, जिससे समय बीतने के साथ-साथ उन पत्रों में उठाये गये मामलों का महत्व समाप्त हो जाये; और

(ङ) क्या जिन पत्रों के उत्तर भेजे गये हैं उनमें उठाये गये कुछ मामलों के उत्तर नहीं दिये गये हैं ; और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

संसद्-कार्य विभाग में संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निपटारा

5883. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1969 से 28 फरवरी, 1970 के बीच संसद् सदस्यों से उनको तथा उनके विभाग में कुल कितने पत्र प्राप्त हुए तथा उन में से प्रत्येक में क्या मामले उठाये गये थे ;

(ख) उनमें से कितने पत्रों के उत्तर अन्तिम रूप से भेज दिये गये हैं तथा ये उत्तर भेजने में अनुमानत: कितना समय लगा ;

(ग) शेष पत्रों के उत्तर न देने के क्या कारण हैं, तथा क्या उन्हें इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा जारी किये गये निदेशों का पता है ;

(घ) क्या संसद् सदस्यों के पत्रों के उत्तर देने में अनावश्यक विलम्ब इसलिये किया जाता है जिससे समय बीतने के साथ-साथ उन पत्रों में उठाये गये मामलों का महत्व समाप्त हो जाये ; और

(ङ) क्या जिन पत्रों के उत्तर भेजे गये हैं उनमें उठाये गये मामलों के उत्तर नहीं दिये गये हैं ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैय्या) : (क) 1 जनवरी, 1969 से 28 फरवरी, 1970 के बीच 214 पत्र प्राप्त हुए । ये पत्र निम्नलिखित विषयों से संबंध रखने वाले विभिन्न मामलों के बारे में हैं :

(1) संसद् सदस्यों को जीपों, कारों और स्कूटरों का नियतन;

(2) टेलीविजन सेटों का सम्भरण ;

(3) सुधरी किस्मों के बीजों इत्यादि का सम्भरण ;

(4) रहने के लिए सरकारी आवास तथा मकान बनाने के लिए भूमि का नियतन ;

(5) संसद् सदस्यों के देश तथा विदेशों में विभिन्न स्थानों के दौरे ;

(6) संसद् सदस्यों को वेतन और भत्ते, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते तथा टेलीफोन सुविधाएं ;

(7) अंग्रेजी के फालतू टाइप राइटरों का सम्भरण ;

(8) विभिन्न मंडलों, समितियों/आयोगों इत्यादि पर संसद् सदस्यों का नामांकन ;

(9) संसद् में विभिन्न विषयों पर चर्चा ;

(10) संसद् सदस्यों के शवों का विमान द्वारा ले जाना ;

(11) राजनैतिक दलों के लिए आचार संहिता; और

(12) विभिन्न विषय ।

(ख) 156 पत्रों का उत्तर अन्तिम रूप से अति शीघ्रता से यथासंभव समय में, जो अलग-अलग केसों में मांगी गई जानकारी पर निर्भर करते हुए 1 दिन से 4-5 महीनों तक जाता है, दिया गया । इस विभाग के एक समन्वय संस्था होने के नाते अनेक मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र करने में समय लगा ।

(ग) शेष पत्रों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी । पत्रों के विषय वस्तु आवश्यकता अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिये गये । हम इस संबंध में प्रधान मंत्री द्वारा जारी किये गये निदेशों, से अवगत है ।

(घ) जी नहीं; और

(ङ) आवश्यकतानुसार पत्रों के उत्तर उनमें उठाई गई सभी महत्वपूर्ण बातों को समाविष्ट करते हुए भेजे गये ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निपटारा

5884. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1969 से 28 फरवरी, 1970 के बीच संसद् सदस्यों से उनको तथा उनके मंत्रालय में कुल कितने पत्र प्राप्त हुए तथा उन में से प्रत्येक में क्या मामले उठाये गये थे ;

(ख) उन में से कितने पत्रों के उत्तर अन्तिम रुप से भेज दिये गये हैं तथा ये उत्तर भेजने में अनुमानतः कितना समय लगा ;

(ग) शेष पत्रों के उत्तर न देने के क्या कारण हैं, तथा क्या उन्हें इस सम्बंध में प्रधान मंत्री द्वारा जारी किये गये निदेशों का पता है ;

(घ) क्या संसद् सदस्यों के पत्रों के उत्तर देने में अनावश्यक विलम्ब इसलिए किया जाता है जिससे समय बीतने के साथ साथ उनके पत्रों में उठाये गये मामलों का महत्व समाप्त हो जाये ; और

(ङ) क्या जिन पत्रों के उत्तर भेजे गये हैं, उनमें उठाये गये कुछ मामलों के उत्तर नहीं दिये गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?